इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 245]   भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 जून 2015—आषाढ़ 1, शक 1937

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2015

क्र. एफ. 22-13-2015-आठ.—मध्यप्रदेश मोटर यान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे कि राज्य सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (च) और (ज), धारा 72 की उपधारा (2) तथा धारा 96 की उपधारा (1) और (2) तथा धारा 111 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इस सूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, कक्ष क्र. 210, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 17 में, उपनियम (1) में, खण्ड (सत्रह) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(अठारह) अपने नेत्रों की वर्ष में एक बार नियम 6 में निर्दिष्ट चिकित्सा व्यवसायी से जांच करवाएगा तथा चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र अपने साथ रखेगा कि वह किसी नेत्र रोग या रतौंधी से ग्रस्त नहीं है तथा यदि वह नेत्र की किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसे चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विहित किए गए चश्में की सहायता से उपचार कर दिया गया है, और वह लाल तथा हरे रंग में अन्तर करने में सक्षम है तथा दिन की रोशनी में 25 मीटर की दूरी से वाहन की नम्बर प्लेट पढ़ने में सक्षम है.''.

(2) नियम 20 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

''20-क महिला आवेदकों को शुल्क से छूट,—

शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए प्रथम बार आवेदन करने वाली महिला आवेदकों से कोई शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा ।''।

(3) नियम 77 में, उप नियम (1) में खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, —

''(चार) मंजिली गाड़ी का अनुज्ञा पत्र धारक वर्ष में एक बार नियम 6 में निर्दिष्ट चिकित्सा व्यवसायी से अपने वाहन चालक के नेत्रों की जांच करवाएगा तथा अपने साथ चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी किए गए इस आशय के प्रमाण पत्र को अपने साथ रखेगा कि वह किसी नेत्र रोग या रतौंधी से ग्रस्त नहीं है तथा यदि वह नेत्र की किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसे चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विहित किए गए चश्में की सहायता से उपचार कर दिया गया है, और वह लाल तथा हरे रंग में अन्तर करने में सक्षम है तथा दिन की रोशनी में 25 मीटर की दूरी से वाहन की नम्बर प्लेट पढ़ने में सक्षम है।''

(4) नियम 77 में, उप नियम (1—क) के खण्ड (2) का लोप किया जाए;

(5) नियम 77 में, उप नियम (1—क) के खण्ड (तीन) में, अंक और शब्द ''20 वर्ष'' के स्थान पर अंक और शब्द ''15 वर्ष''स्थापित किए जाएं ।

(6) नियम 77 में, उप नियम (1—क) के खण्ड (चार) में, अंक और शब्द ''150 किलोमीटर या उससे अधिक'' के स्थान पर, अंक और शब्द ''75 किलोमीटर से अधिक'' स्थापित किए जाएं।

(7) नियम 116 में, उप नियम (1—क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(1—क) चालक को छोड़कर सात व्यक्तियों की बैठक क्षमता वाली मंजिली गाड़ी सेवा यान को ''ग्रामीण सेवा यान'' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और वे नियम 116—क के खण्ड (दो) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट केवल ग्रामीण मार्गों पर ही चलेंगे। ऐसे यान पर वायुरोधी शीशे (विंडस्क्रीन) के ऊपरी किनारे पर तथा यान की बॉडी के दोनो ओर बाहरी भाग पर केशरिया रंग से रंगी गई पट्टी पर नीले रंग से ''ग्रामीण सेवा यान'' लिखा जाएगा । पट्टी की चौड़ाई 10 सें.मी और ऊंचाई में अक्षरों का आकार 8 सें.मी. होगा और वे इस प्रकार होंगे कि 25 मीटर की दूरी से साफ—साफ पढ़े जा सकते हों ।''

(8) नियम 116—क में, उप नियम (1) के खण्ड (दो) में, शब्द और अंक ''25 प्रतिशत से अधिक अथवा 15 किलोमीटर से अधिक इनमें से जो भी कम हो'' के स्थान पर अंक और शब्द ''10 किलोमीटर से अधिक'' स्थापित किए जाएं।

(9) नियम 116–क के उप नियम (2) का लोप किया जाए ।

(10) नियम 116–क में उप नियम (3) में अंक तथा शब्द "22 से कम" के स्थान पर अंक तथा शब्द "7+1 से अनधिक" स्थापित किए जाएं ।

(11) नियम 164 में उप नियम (1) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परंतु उक्त उपबंध किसी ऐसी मोटर कैब तथा यानों को लागू नहीं होंगे, जिन्हें मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप धारा (9) के अधीन ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जारी किया गया हो ।"

(12) नियम 164 में उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 128 के अधीन डिजाइन किए गए और निर्मित यानों को छोड़कर प्रत्येक लोक सेवा यान, प्राइवेट सेवा यान, ठेका गाड़ी और शिक्षण संस्थाओं के यानों में केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 128 के उप नियम (4) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार न्यूनतम 50 × 90 सें. मी. के आकार का आपात्कालीन दरवाजा लगाया जाएगा, जो यान के दाहिनी ओर होगा ।

F 22-13/2015/VIII The Following draft of amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clauses (f) and (h) of sub-section (2) of Section 28, sub-section (2) of section 72, sub-section (1) and (2) of Section 96 and sub-section (1) and (2) of section 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in "Madhya Pradesh Gazette".

Any objection or suggestions which may be received from any person with respect to said draft before expiry of the period specified above in the office of the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Transport Department during office hours at Room No. 210, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,-

(1) In rule 17, in sub rule (1), after clause (xvii), the following clause shall be inserted, namely:-
"(xviii) shall cause his eyes examined once in a year by a medical practitioner referred to in rule 6, and shall keep with him/her the certificate issued by the medical practitioner of this effect that he is not suffering from any eye disease or night blindness and if he is suffering from any eye disease, the same has been cured with the help of spectacle as prescribed by the medical practitioner and he is able to differentiate between red and green colours and to read the number plate of a vehicle from 25 metre distance in a day light."

(2) After rule 20, the following rule shall be added, namely:-
"20-A Exemption of fee for women applicants:
No fees shall be levied from the female applicants, applying first time for learning licence."

(3) In rule 77,-
In sub-rule (1), after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-
"(iv) that the permit holder of the state carriage shall cause his driver's eyes examined once in a year by a medical practitioner referred to in rule 6 and shall keep with him/her the certificate issued by the medical practitioner of this effect that he is not suffering from any eye disease or night blindness and if he is suffering from any eye disease, the same has been cured with the help of spectacle as prescribed by the medical practitioner and he is able to differentiate between red and green colours and to read the number plate of a vehicle from 25 metre distance in a day light."

(4) In rule 77, clause (ii) of sub-rule (1-a) shall be omitted;

(5) In rule 77, in clause (iii) of sub-rule (1-a), for the figure and word "20 years" the figure and word "15 years" shall be substituted.

(6) In rule 77, in clause (iv) of sub-rule (1-a), for the figure and words "150 km or above", the words and figure "more than 75 km" shall be substituted.

(7) In rule 116, for sub-rule (1-a), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1-a) The stage Carriage service vehicle having seating capacity of 7 persons excluding driver shall be classified as "Rural Service Vehicle" and shall ply exclusively on "Rural Routes" as specified under clause (ii) of rule 116 A. Rural Service Vehicle shall be painted in blue colour on a saffron strip on the upper edge of the wind screen and on the exterior of both sides of the body. The size of the strip shall be 10 cm wide and size of the letters shall be 8 cm in height and be such that it is clearly legible from 25 metres."

(8) In rule 116 A, in sub-rule (1), in clause (ii), for the words and figures "exceeding 25 percent or exceeding 15 kms whichever is less.", the words and figure "exceeding 10 kms" shall be substituted.

(9) Sub-rule (2) of rule 116-A shall be omitted.

(10) In rule 116 A, in sub-rule (3) for the words and figure "less than 22" the words and figures "not more than 7 excluding driver" shall be substituted.

(11) In rule 164, for the proviso to sub-rule (1), the following Proviso shall be substituted, namely:-
"Provided that the said provision shall not apply to the such motor cab and vehicles which have been issued All India Tourist permit under sub-section (9) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988."

(12) For sub-rule (2) of rule 164, the following sub rule shall be substituted, namely:-
"Every Public Service Vehicles, Private Service Vehicle, Contract Carriage and vehicles of educational Institutions except the vehicles designed and manufactured under rule 128 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, shall have an Emergency door on right side of the vehicle with a size of minimum 50x90 cm as required under sub-rule (4) of rule 128 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.